संख्या- 38/2019 / 456 /71-1-2019-जी-54/2018

प्रेषक

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 13 मार्च, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेजों/सम्बद्ध चिकित्सालयों/संस्थानों में भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2018-19/771, दिनॉक 12-02-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में सरोजनी नायडू चिकित्सालय सम्बद्ध चिकित्सालय, आगरा में मानक मद-01-वेतन में रू0 28,00,000/- (रू0 अट्ठाइस लाख मात्र) की बचत के सापेक्ष राजकीय मेडिकल कालेजों/सम्बद्ध चिकित्सालयों/संस्थानों में मानक मद-41-भोजन पर व्यय में रू0 28,00,000/- (रू0 अट्ठाइस लाख मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन वेतनादि सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-293 /दस-2019, दिनॉक 09 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

5/03/19

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः- 38/2019 / 456 (1)/71-1-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, झाँसी, आजमगढ़ तथा बाँदा।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, झाँसी, आजमगढ़ तथा बाँदा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर, इलाहाबाद, झाँसी, आजमगढ़ तथा बाँदा।
6- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

5.3.19

आज्ञा से,

(अखिल कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र–9(1) (संदर्भ: बजट मैनुअल का प्रस्तर–158) (इस पत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या–31–चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2018–19

प्रपत्र–बी0एम0–9

(रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण

वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) पूंजी	आवेदन पत्र देने के दि0 उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दि0 पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा ओषधालय–15– मेडिकल कालेज/सम्बद्ध अस्पताल–02–सरोजनी नायडू चिकित्सालय सम्बद्ध चिकित्सालय आगरा					
01–वेतन	2181.11	28.00	28.00	28.00	2153.11

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण

वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) पूंजी	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा ओषधालय–15– मेडिकल कालेज/सम्बद्ध अस्पताल–					
03–लाला लाजपत राय चिकित्सालय तथा सम्बद्ध बाल चिकित्सालय कानपुर–					
41–भोजन पर व्यय	40.00	55.00	15.00	8.00	48.00
04–न्यू स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय तथा बाल चिकित्सालय इलाहाबाद–					
41–भोजन पर व्यय	60.00	80.00	20.00	10.00	70.00
07–महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी से सम्बद्ध चिकित्सालय–					
41–भोजन पर व्यय	50.00	55.00	5.00	5.00	55.00
05–चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105 –एलोपैथी–					
03–शिक्षा–24–राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ					
41–भोजन पर व्यय	40.00	42.50	2.50	2.50	42.50
26–मेडिकल कालेज, बांदा					
41–भोजन पर व्यय	8.00	10.50	2.50	2.50	10.50
योग–	**198.00**	**243.00**	**45.00**	**28.00**	**226.00**

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में सरोजनी नायडू चिकित्सालय सम्बद्ध चिकित्सालय आगरा में मानक मद–01–वेतन में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 28.00 लाख की बचत संभावित है।

2–स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि अस्पतालों/चिकित्सालयों में मरीज एवं 01 तीमारदार हेतु भोजन की व्यवस्था की जाये, जिसके क्रम में लाला लाजपत राय चिकित्सालय तथा सम्बद्ध बाल चिकित्सालय कानपुर में मानक मद–41–भोजन पर व्यय में रू0 8.00 लाख, न्यू स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय तथा बाल चिकित्सालय इलाहाबाद में मानक मद–41–भोजन पर व्यय में रू0 10.00 लाख, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज झांसी से सम्बद्ध चिकित्सालय में मानक मद–41–भोजन पर व्यय में रू0 5.00 लाख, राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ में मानक मद–41–भोजन पर व्यय में रू0 2.50 लाख, मेडिकल कालेज, बांदा में मानक मद–41–भोजन पर व्यय में रू0 2.50 लाख, कुल धनराशि रू0 28.00 लाख की आवश्यकता है।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

संख्या– 546 दिनांक– 09-3-2019

सेवा में,
महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद

(पवित्र कुमार) 9/3/2019
उप सचिव
वित्त विभाग

संख्या– 38/2019 /456 /71–1–2019–जी–54/2018.,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– संबंधित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
3– कोषाधिकारी, कानपुर, इलाहाबाद, झाँसी, आजमगढ़ तथा बाँदा।
3– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (तीन प्रतियों में)
5– गार्ड फाइल।

(अनिल कुमार),
संयुक्त सचिव

Anu S.P.M.